उपायुक्त का कार्यालय (जिला आपूर्ति शाखा) गिरिडीह।

अति अल्पकालीन पुनर्निविदा सूचना

गिरिडीह जिला अन्तर्गत देवरी प्रखण्ड के लिए **Door Step Delivery** के तहत् राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न, चावल, गेहूँ, चीनी, नमक आदि प्रखण्ड परिसर स्थित राज्य खाद्य निगम के गोदाम से प्रखण्ड के प्रत्येक जन वितरण प्रणाली दुकानों में पहुँचाने हेतु परिवहन–सह–हथालन अभिकर्त्ता की नियुक्ति हेतु वित्तीय वर्ष **2016–17** के लिए पुनर्निविदा आमंत्रित की जाती है।

स्वीकृत निविदादाता को जिला निविदा समिति द्वारा निर्धारित शर्त का अनुपालन करना होगा। निविदा प्रपत्र एवं खाद्यान्न के आवंटन से संबंधित आवश्यक जानकारी कार्यालय अवधि में दिनांक **21.01.2017** को **05:00 बजे अप0** तक प्राप्त किया जा सकता है। निविदा पत्र हेतु जिला **आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह** के पदनाम से **2500.00(दो हजार पाँच सौ) रू0** का बैंक ड्राफ्ट/आई0पी0ओ0 देना आवश्यक होगा।

दिनांक **23.01.2017 को 12:00 बजे दिन** तक निविदा लिफाफा जमा करना होगा। उसी दिन **01:00 बजे अप0** अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निविदा खोला जाएगा। निविदा खोलते समय निविदादाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति अपेक्षित है। निविदादाता को तकनिकी निविदा एवं वित्तीय निविदा के रूप में दो मुहरबंद लाह द्वारा सील लिफाफों में अलग–अलग भर कर एक साथ एक मुहरबंद लाह द्वारा सील लिफाफा में जमा करना होगा। तकनिकी निविदा की शर्तों को पूरा करने पर ही वित्तीय निविदा खोला जाएगा। खाद्यान्न का आवंटन सरकार से प्राप्त आवंटन के अनुसार किया जाता है। इसमें कमी या वृद्धि हो सकता है।

निविदादाता को **Rs.200000.00(दो लाख रूपये)** का राष्ट्रीयकृत बैंक का ड्राफ्ट **जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह** के नाम से सुरक्षित जमा देना होगा। जिसकी निकासी गिरिडीह में किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त जिला स्तरीय आवासीय प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, अद्यतन आयकर रिटर्न जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वित्तीय भाग नहीं खोला जाएगा।

निविदा को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

निविदा स्वीकृत होने पर निविदादाता को पूर्ण 31.03.2017 तक कार्य करना अनिवार्य होगा। बीच में काम रोके जाने पर या काम छोड़ने पर उनके द्वारा सुरक्षित जमा राशि को पूर्ण रूप से जब्त कर लिया जाएगा। साथ ही कार्यालय में लम्बित सभी प्रकार के विपत्र/राशि को भी जब्त कर लिया जाएगा। निविदा से संबंधित शर्तें **www.giridih.nic.in** पर प्राप्त की जा सकती है साथ ही समाहरणालय के सूचना पट पर भी देखा जा सकता है।

09/01/17

उपायुक्त, गिरिडीह।

पुनर्निविदा शर्त

1. निविदादाता को निविदा के साथ **Rs.200000.00(दो लाख रूपये) का राष्ट्रीयकृत बैंक का ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जमा करना होगा, ड्राफ्ट जो जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह के नाम से भुगतेय होगा।** इसके अतिरिक्त जिला स्तरीय आवासीय प्रमाण पत्र/चरित्र प्रमाण–पत्र/आयकर संबंधी रिटर्न की स्व अभिप्रमाणित प्रति भी समर्पित करना अनिवार्य होगा।
2. निविदादाता को जन–वितरण प्रणाली विक्रेता या उसके निकटतम संबंधी अथवा कोई सरकारी पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। इस आशय का शपथ पत्र निविदादाता को निविदा पत्र के साथ देना अनिवार्य होगा। निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् भी सत्यता की पता होने पर जमानत की राशि जब्त कर लिया जाएगा।
3. निविदादाता का परिवहन–सह–हथालन व्यय पर होने वाले खर्च एक अंकित दर ही मान्य होगा।
4. निविदा के माध्यम से दर निर्धारण करने के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगी।
5. निविदा की शर्तों में परिवर्तन एवं उसे बिना-कारण बताये रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
6. विभाग द्वारा आवंटन उपलब्ध कराने पर ही विपत्र का भुगतान किया जाएगा इस अवधि में कार्य प्रभावित होने पर निविदादाता की जमानत राशि जब्त कर दूसरे निविदादाता के साथ सम्बद्ध कर दिया जाएगा।
7. किसी भी परिस्थिति में जन वितरण प्रणाली के विक्रेता सम्बन्धित प्रखण्ड स्थित गोदाम में नहीं आएंगे और न ही खाद्यान्न का परिवहन में किसी प्रकार से सहयोग लिया जायेगा। ऐसी सूचना या प्रमाण मिलने पर निविदादाता को कार्य मुक्त करते हुए उनके द्वारा जमा की जमानत की राशि को जप्त कर लिया जायेगा एवं L-2 निविदादाता को L-1 दर पर कार्य दे दिया जाएगा। निविदादाताओं का दर समान (Equal) होने पर प्रखंड के निवासी एवं अनुभवी निविदादाता को प्राथमिकता दी जाएगी।
8. स्वीकृत निविदादाता को पूर्ण अवधि तक काम करना अनिवार्य होगा। बीच में काम रोके जाने पर या काम छोडे जाने पर उनके द्वारा सुरक्षित जमा राशि पूर्ण रूप से जब्त कर लिया जाएगा साथ ही कार्यालय में लम्बित सभी प्रकार के विपत्र को भी जब्त कर लिया जाएगा।
9. प्रखण्ड मुख्यालय से प्रखण्ड क्षेत्र अन्तर्गत सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को लगभग 1/2 KM से 50 KM की दूरी तक सभी योजनाओं के खाद्यान्न का "डोर स्टेप डिलेवरी" किया जाना है। दुकानों की संख्या घट/बढ़ सकती है। विशेष परिस्थिति में दुकानों की दूरी घट/बढ़ सकती है।
10. निविदादाता के पास स्वंय के नाम से चार, मालवाहक वाहन (ट्रेक्टर/ट्रेलर होने पर दोनों निबंधित हो) अद्यतन टैक्स पेड, बीमा, फिटनेस प्रमाण पत्र तथा परमिट (यदि आवश्यक हो तो) होना अनिवार्य है एवं निविदा के साथ संबंधित निविदादाता को कम से कम दस मालवाहक वाहन/ट्रेक्टर तथा टेलर होने पर (दोनों निबंधित हो), अद्यतन टैक्स पेड, बीमा, फिटनेस प्रमाण पत्र तथा परमिट(यदि आवश्यक हो तो) के साथ संबंधित मालवाहक वाहन के मालिक से मार्च, 2017 तक वाहन डोर स्टेप

डिलेवरी कार्य में प्रयोग करने का एकरारनामा की मूल प्रति निविदा पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनके निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा स्वीकृति के उपरान्त डोर स्टेप डिलेवरी के कार्य में उपयोग किये जाने वाले उपरोक्त वाहनों के दोनो तरफ(आगे, पीछे को छोड़कर) पीले रंग के Background में काले अक्षर से निम्न सूचना की पेन्टिंग अनिवार्य होगी–

"जन वितरण प्रणाली के खाद्यान्न का परिवहन"

तत्पश्चात् ही कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।

11. जन वितरण प्रणाली बिक्रेताओं से खाद्यान्न प्राप्ति का प्रमाण पत्र (विहित प्रपत्र में हस्ताक्षर) तथा संबंधित पंचायत के जन प्रतिनिधियों यथा वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, उप मुखिया अथवा मुखिया आदि का हस्ताक्षर (विहित प्रपत्र में) युक्त प्रपत्र दाखिल करना अनिवार्य होगा, तत्पश्चात ही उन्हें परिवहन व्यय की राशि का भुगतान किया जायेगा।
12. स्वीकृत निविदादाता को डोर स्टेप डिलेवरी के कार्य हेतु किसी प्रकार का अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।
13. स्वीकृत निविदादाता को परिवहन व्यय भुगतान हेतु अभिश्रव एवं खाद्यान्न ढुलाई का प्रतिवेदन (विहित प्रपत्र में) कम्प्यूटराइज्ड प्रति दाखिल करना अनिवार्य होगा। संबंधित परिवहन अभिकर्त्ता के विपत्र से टी.डी.एस. की अनुमान्य राशि की कटौती कर विपत्र का भुगतान किया जायेगा।
14. निविदादाता को ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। इस आशय का शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।
15. निविदादाता अपराधिक मामले में न्यायालय द्वारा सिद्ध दोषी नहीं होना चाहिए। इस आशय का शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।
16. तकनीकी बीड के साथ संलग्न सभी प्रकार के वांछित कागजात एवं अद्यतन बैंक ड्राफ्ट की सूची बनाकर निविदा पत्र के साथ देना होगा।
17. स्वीकृत निविदादाता परिवहन कार्य को किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं।
18. विभाग द्वारा परिवहन एवं हथालन दर अधिकतम 40.00(चालीस) रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित है। स्वीकृत निविदादाता को निविदा पत्र में उल्लेख किये गये वाहनों का उपयोग डोर स्टेप डिलेवरी कार्य में क्रमांक–10 में अंकित शर्तों के अनुरूप करना होगा। भविष्य में विशेष परिस्थिति में वाहनों की अतिरिक्त आवश्यकता होने पर अथवा पूर्व वर्णित वाहनों के स्थान पर अन्य वाहनों के उपयोग हेतु कम से कम 15 दिन पूर्व लिखित सूचना देना अनिवार्य होगा एवं नये वाहनों के उपयोग क्रमांक–10 में अंकित शर्तों के अनुरूप करना होगा।

09/01/12

उपायुक्त, गिरिडीह।